39/2015 अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : कर्ण सिंह गोठवाल, आर0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 39/15

श्री प्रदीपकुमार राजपूत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर।

बनाम

मै0 बनारसीदास एण्ड संस, प्रो0 अनिल कुमार पुत्र बनारसीदास, पुरानी धान मण्डी, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

अभियुक्त

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(ii)खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

निर्णय दिनांक : 23.02.2016

सक्षेंप में प्रकरण के सुसंगत एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रदीपकुमार राजपूत दिनांक 06–06–12 से कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी, श्री गंगानगर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्य सम्पादन कर रहे हैं और उसे राज्य सरकार के आदेश कमांक एच/पीएफए/एफएसएसए/नोटिफिकेशन 2012/568 दिनांक 28–5–12 के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। शासन की अधिसूचना/2011/496 दिनांक 18–8–11 के अनुसार इनका कार्यक्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर आवंटित किया गया है और जिला श्री गंगानगर के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र कार्यक्षेत्र में बताए गए हैं।

श्री प्रदीप कुमार राजपूत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.06.2015 को 1–15 पी.एम. पर वास्ते चैकिंग बनारसीदास एण्ड संस पर प्रो0 अनिल कुमार पुत्र बनारसीदास जिफू नूडल्स विकय कर रहा था, जो कि करीबन 10 कार्टून के आसपास जिफू नूडल्स था। उसमें मिलावट का शक होने पर उसमें से 420 ग्राम जिफू नूडल्स का नमूना जांच संख्या के–553 चार साफ सूखे व खाली कार्टून में 70 ग्राम के हिसाब से लिया और खरीद शुदा जिफू नूडल्स की कीमत अखरे रूपये 240/– श्री अनिल कुमार को गवाह श्री राकेश सचदेवा एवं प्रमोद के सामने देकर रसीद प्राप्त की। श्री अनिल कुमार को फार्म नं0 5 ए पर नोटिस देकर बता दिया था कि नमूना वास्ते जॉच लिया गया है, जिसको पढ़ समझ कर सही मानकर श्री अनिलकुमार ने हस्ताक्षर किये। फार्म नं0 5 की एक प्रति श्री अनिलकुमार को देकर रसीद प्राप्त की गई। खरीद शुदा जिफू नूडल्स को चार साफ सूखी व खाली पैकेटों में बराबर बराबर डाल कर लेबल तैयार किये और उन पर खाद्य नमूना सं0 के–553 एवं अन्य विवरण दर्ज कर उन पर स्वंय ने व विकेता एवं गवाहान ने हस्ताक्षर किये और इनको प्रत्येक शीशी पर चिपकाया गया। प्रत्येक शीशी को खाकी कागज से लपेट कर प्रत्येक शीशी पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर की हस्ताक्षर शुदा स्लिप के–553 नियमानुसार नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपका कर प्रत्येक शीशी को धागे से बॉध कर चार–चार जगह सील चपड़ी किया और प्रत्येक शीशी पर श्री अनिलकुमार के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लीप एवं रेपर दोनों पर आवें। इन चारों सील्ड शीशीयों पर नियमानुसार गवाह राकेश सचदेवा व प्रमोद के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वंय ने किये और इन चारों सील्ड पैकेटों को अपने कब्जे में ले लिया। इस समस्त कार्यवाही की मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की गई। इसके पश्चात् फार्म नं0 6 की सात प्रतियॉ तैयार की गई और प्रत्येक पर सील नमूना अंकित किया गया। जॉच नमूनों की कार्यवाही सम्पूर्ण की गई।

Scanned by CamScanner

A5
2

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना सं0 के–553 की एक सील्ड पैकेट को फार्म नं0 6 की एक प्रति के साथ सील बन्द कर जन विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर के पास जॉच हेतु भिजवाई, जिसकी प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई और फार्म नं. 6 की द्वितीय प्रति, जिसमें सील नमूना अंकित था, अलग से जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर को भिजवाई, जिसकी प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई। खाद्य नमूना के–553 के द्वितीय एवं तृतीय भाग को फार्म नं0 6 की दो प्रतियों के साथ एक आउटर कवर पैकेट में सील बंद कर एवं खाद्य नमूना के चतुर्थ भाग को फार्म नं0 6 की एक प्रति के साथ एक आउटर कवर पैकेट में सील बंद कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी के पास जमा करवा दिया। इसके पश्चात् खाद्य विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर की जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/1716/एक्ट/2015/1109 दिनांक 03.09.2015 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–553 जिफू नूडल्स मिसब्रान्ड एवं सब स्टैण्डर्ड होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर ने पत्र क्रमांक – दिनांक – की पालना में अभियुक्त के विरूद्ध एफ एस एस ए एक्ट 2006 नियम 2011 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 28.12.2015 को प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्त द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। अभियुक्त ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि उसके प्रकरण का फैसला कर दिया जावे।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त श्री अशोककुमार से लिया गया जिफू नूडल्स का सैम्पल के–553 जाचं रिपोर्ट क्रमांक एलएस/1716/एक्ट /2015/1109 दिनांक 03.09.2015 द्वारा मिसब्रान्ड एवं सब स्टैण्डर्ड (अमानक) होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के उल्लंघन का अपराध साबित होता है।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया। जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/1716/एक्ट /2015/1109 दिनांक 03.09.2015 के अवलोकन से जिफू नूडल्स का लिया गया सैम्पल के 553 मिसब्रान्ड एवं सब स्टैण्डर्ड (अमानक) होना पाया गया है। इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया जिफू नूडल्स का सैम्पल के 553 मिसब्रान्ड एवं सबस्टैण्डर्ड (अमानक) है।

फलस्वरूप श्री अशोक कुमार को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 उपधारा 2(ii) एवं धारा (1)(जैड एफ) (सी)(आई) एफएसएस 2006 के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त श्री अशोककुमार को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 50000/– (अखरे रूपये पचास हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कर्ण सिंह गोठवाल) 23/2/16
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्री गंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)
3/2/2015

Scanned by CamScanner